मध्य प्रदेश विधानसभा
अशासकीय संकल्प की सूचना

भोपाल दिनांक 22 दिसम्बर, 2021

प्रेषकः

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
सदस्य विधान सभा

प्रेषितिः

सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल

विषय- नियम 117 के अधीन अशासकीय संकल्प क्रमांक 11 की सूचना ।

--•--

महोदय,

मैं, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 117 के अधीन सामान्य लोकहित के विषय से संबंधित निम्नलिखित अशासकीय संकल्प को सभा में प्रस्तुत करने की अनुज्ञा चाहता हूँ :-

संक्षिप्त विषय

"यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि 01 नवम्बर, 2000 को म.प्र. से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था जिसमें विभाजन के दौरान म.प्र. छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन की धारा 49(6) लागू की गई थी जिसमें प्रदेश के पेंशनरों को डी.ए. एवं अन्य सुविधाओं के लिये छत्तीसगढ़ राज्य की अनुमति लेना आवश्यक किया गया था जो कि लगभग 20 वर्ष पश्चात भी अनिवार्य है जिसमें म.प्र. शासन राज्य के पेंशनरों को डी.ए. एवं अन्य सुविधाओं के लिये स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता है जिससे प्रदेश सरकार द्वारा पेंशनरों को लाभ देने में प्रति वर्ष विलंब होता है इसलिये म.प्र. के पेंशनरों में निराशा बनी रहती है । अतः धारा 49 को विलोपित करने का अनुरोध है ।

विभागीय टीप

01 नवम्बर 2000 को म.प्र. का पुनर्गठन किया जाकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया । म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत पेंशन के दायित्वों का मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन किये जाने का प्रावधान है । पेंशनरी दायित्वों में वृद्धि संबंधी निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए पारस्परिक सहमति की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ।

2/ उपर्युक्त के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य से पेंशनरी दायित्व के विभाजन की राशि मध्यप्रदेश को प्राप्त होती है । अतः प्रदेश हित में वर्तमान में अनुरोध किया जाना उचित नहीं होगा ।

अवर सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग